	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 20, सोमवार, *शाके 1946*- नवम्बर 11, *2024*	
	Kartika 20, Monday, Saka 1946- November 11, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अक्टूबर 18, 2024

संख्या प. 2(60)वन/2024 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तिया है या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है और चूंकि ऊपर कथित वनभूमि या बंजर भूमि को सरकार राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती है।

यह की वर्णित पर पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है

यह कि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचने की आशंका रहेगी।

अतः राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का अधिनियम सं 13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है और ऐसी जांच साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (2), 12, 13, 14, 17, 18 एवं 19 में प्रावहित है।

और इस अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (Protected) वन के रूप में घोषित करती है परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरीत प्रभाव पडेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकडी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या

निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वनभूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

क्र.स.	ब्लाक नाम	तहसील नाम	जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण		
							खसरा नंबर	क्षैत्रफल	भूमि किस्म
1	माल पहाडिया-II	शिवगंज	सिरोही	उत्तर	वन विभाग ब्लाक माल पहाडिया-	मनादर-2	2931/2	4.0469	खालखद्दर
				दक्षिण	नाला ख.सं 2925				
				पश्चिम	खालखद्दर ख.सं 2931/1				
				पूर्व	वन विभाग ख.सं 2931				

किशन सिंह राणावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सिरोही।

कस्तूरी प्रशांत सूले IFS,
उप वन संरक्षक,
सिरोही ।

द्वितीय अनुसूची

प्रस्तावित वनखण्ड मे आने वाली वनस्पतियो के वानस्पतिक नामो की सूची

क.स.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Prosopis Juliflora	विलायती बबूल
2	Acacia leucophloea	रौंझ

किशन सिंह राणावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सिरोही।

कस्तूरी प्रशांत सूले IFS,
उप वन संरक्षक,
सिरोही ।

प्रमाण पत्र

वनखण्ड - माल पहाडिया-II

रेन्ज - सिरोही

वनमण्डल - सिरोही

1. प्रारूप में दर्शाई गई भूमि खालखद्दर है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं किये हुए है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्रों में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन नहीं है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.1 से 0.2 तक का है एवं इन क्षेत्रों में मुख्य विलायती बबुल, रोंझ एवं अन्य प्रजातियों के पेड़ एवं झाड़िया है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन नहीं है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन विभाग व बीलानाम सीमाओं से पृथक है एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नहीं होगा। विभागाधीन भूमियों का विकास कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।
6. प्रस्तावित भूमियों का मानचित्र संलग्न हैं।
7. इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ हैं।
8. उक्त भूमि Construvction of Road From Manadar to Rowara KM 5/500 to 9/500 प्रस्ताव संख्या एफपी/आरजे/रोड/18545/2016 क्षेत्रफल 4.0469 हैक्टर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु इस वन मण्डल को आवंटित की गयी।

किशन सिंह राणावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सिरोही।

कस्तूरी प्रशांत सूले IFS,
उप वन संरक्षक,
सिरोही ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।